देश की क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
9/3/19	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिटेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेशन केश नं0–49/2018** विकमजीत सिंह मारवाहा –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचाँची अंचल अन्तर्गत मौजा–चलकरी, थाना नं0–31, खाता नं0–04, 20, 28, 17, प्लॉट नं0–427, 428, 429, 431 एवं 432, कुल रकवा–0.0825 एकड़ (8.25 डी0) भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक स्वंय उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि अर्जित भूमि पर संरचना यथा चाहरदिवारी, Weigh Bridge (कांटा घर), Concreat platform इत्यादि निर्मित है। भूमि का मुआवजा राशि भुगतान किया गया है, परन्तु उसपर अवस्थित संरचनाओं का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा मुआवजा राशि नियमानुसार आकलन कर भुगतान किया गया है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/NHAI वास्ताविकता की जाँच करते हुए भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन करते हुए आवेदक को नियमानुसार देय मुआवजा राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें, तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। 9/3/19 अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद। लेखापित एवं संशोधित। 9/3/19 अपर समाहर्त्ता, –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद।	

Scanned with CamScanner